



Office of the Accountant General (A&E),
Andhra Pradesh and Telangana, Hyderabad – 500 004

PM/VI/2015-16/OG-GO/

08.2016

To
The Director of Treasuries and Accounts
Andhra Pradesh
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad
Sir,

Sub:- Forwarding *order* of DR State Govt. pensioners who are in receipt of Provisional pension or pension in the Chattisgarh Revision of Pay rules 1998 @ 245% from 01.01.2016

Ref:- 1. Govt. of Chattisgarh Finance Department No. 259/F-2013-04-00416/Fin/Rule/IV dt. 08.07.2016
2. No Pension/DR/5100 dt 19.07.2016 from the Accountant General (A&E) Chattisgarh.

I am herewith enclosing copies of Govt. orders issued by Chattisgarh Govt. and received under Special Seal Authority from the Accountant General (A&E), Chattisgarh in the reference cited. The same *has been* placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Y Sareen Palus

Sr. Accounts Officer

Copy To
Asst. Director,
HQR Treasury
Tilak Road, Abids,
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

क्र: पेन्शन/राहत/5130


प्रति,

- 054496755
21/07
- 01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कार्यालय कम्पनी नं. 110124
 - 02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद-500463
 - 03 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) अरुणाचल प्रदेश, ईटा नगर-791111
 - 04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगाँव बेलटोला, गुवाहाटी-781029
 - 05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-11 विहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001
 - 06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
 - 07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं.-4 एवं 5, सेक्टर 33-ब, चंडीगढ़-160042
 - 08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला-171003
 - 09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्जीबीशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर-190009
 - 10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पीओ-डोरंडा, रौंची-834002
 - 11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-5329 / 5369 बैंगलोर-560001
 - 12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी. रोड, तिरुवनंथपुरम-695039
 - 13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- 11 मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002
 - 14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन मैरीन लाईन्स, मुंबई
 - 15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- 11 महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001
 - 16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मनिपुर, इम्फाल-795001
 - 17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलांग-793001
 - 18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐज़वल-796001
 - 19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा-797001
 - 20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उडीसा, भुवनेश्वर-751001
 - 21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017
 - 22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर-302005
 - 23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिविकम, लेखा परीक्षा भवन देवराती पी.ओ.-टाडोंग, गंगटॉक-737102
 - 24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई-600018
 - 25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुंजाभवन, अगरतला-799006
 - 26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171
 - 27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद-211001
 - 28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेरर बैगॉल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेरर) कोलकता-700001
 - 29 कन्डोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
 - 30 डाइरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पाणीवरी सरकार, पाणीवरी
 - 31 डाइरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पाणीवरी सरकार, पाणीवरी
 - 32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), तेलंधाना, सैफाबाद, हैदराबाद-500463

विषय: छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अन्तर्गत प्रत्याशित पेशन/पेशन प्राप्त करने वाले पेशनरों को मंहगाई राहत।

संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग का निर्देश (20/2016) क्रमांक: 257/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार दिनांक: 08/07/2016।

सदर्भित निर्देशों, जो की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं, का पालन करने एवं अपने अधिनरथ सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

पृ.क्र: पेन्शन/राहत/

दिनांक:

1. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को उनके पत्र क्रमांक: 257 दिनांक: 08/07/2016 के साथ संलग्न संदर्भित निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की सूचना।

06/08


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

**छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय**

महानदी भवन-नया रायपुर

क्रमांक 259/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 8 जुलाई, 2016
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अन्तर्गत प्रत्याशित पेंशन/ पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों को वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 05/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 1.1.2016 द्वारा दिनांक 01.07.2015 से 234 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों को वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 05/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 1.1.2016 द्वारा दिनांक 01.07.2015 से 234 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है ।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के ऐसे पेशनर/परिवार पेंशनरों को जो छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अनुसार प्रत्याशित पेंशन/पेंशन प्राप्त कर रहे हैं के लिए निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये -

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01.01.2016	पेंशन/परिवार पेंशन का 245 प्रतिशत

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation) सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के

कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि -2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 20-7-2009 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3/ ऐसे पेशनर्स जिन्होंने अपनी पेशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेशन) पर देय होगी।

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये हैं।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णाकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANACE & PLANNING DEPARTMENT
MANTRALAYA,
MAHANADI BHAWAN-NAYA RAIPUR**

No. 259/F-2013-04-00416/finance/Rule/IV Naya Raipur, Dated 8-7-2016
To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Commissioners of Divisions
All Heads of Department
All Collectors
Chhattisgarh.

**Sub -Grant of Dearness Relief to State Government Pensioners Who
are in receipt of provisional pension or pension in the
Chhattisgarh Revision of pay rules 1998.**

The State Government had sanctioned 234% dearness relief w.e.f. 01-07-2015 to their pensioners who are in receipt of pension in the Chhattisgarh Revision of Pay Rules 1998 vide Finance Department Memo No. 05/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, dated 1-1-2016.

The State Government has now decided that the dearness relief to the pensioners Who are in receipt of provisional pension/ pension in the Chhattisgarh Revision of Pay Rules 1998 should be sanctioned as given below.

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01-01-2016	245% of Pension/family pension

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was

in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 24/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.


3. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

4. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board/Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's Memo No. 144/97/F/R/IV/2007, dated 05-06-2007.

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh


(S. K. Chakraborty)

Joint Secretary
Government of Chhattisgarh
Finance Department

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रेजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अधिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
15. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मंत्रालय एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छ.ग ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी /पेशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ ।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक,गवर्नर्मेंट एण्ड बैंक एकाउण्ट डिपाटमेंट, सी-7 बान्दा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई ।
22. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ ।
23. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर ।
24. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद ।
25. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001.
26. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001.
27. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002.

28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम् 695039
 29. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018.
 30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.
 31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001.
 32. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भूवनेश्वर 751001.
 33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160047.
 34. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
 34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
 35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
 36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001.
 37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
 38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001.
 39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
 40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा.
 41. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001.
 42. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
 43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 71701.
 44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून.
 45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004.
 46. महालेखाकार (लेखा/हक.) गुजरात, 5वी मंजिल सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
 47. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, राजकोट 360001.
 48. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
 49. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
 50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मंधालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001.
 51. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001.
 52. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
 53. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002.
 54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607, तिरुवनन्तपुरम् 695039.
 55. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू चेन्नई 600018.
 56. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू चेन्नई 600018.
 57. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020.
 58. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.
 59. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलोर 560002.
 60. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001.
 61. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017.
 62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047.

28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम् 695039
29. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018.
30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.
31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001.
32. वित्त सचिव, उडीसा शासन, मंत्रालय, भूवनेश्वर 751001.
33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160047.
34. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
35. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
36. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
37. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001.
38. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
39. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001.
40. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
41. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा.
42. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 71701.
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून.
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004.
46. महालेखाकार (लेखा/हक.) गुजरात, 5वी मंजिल सी-ब्लाक,लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
47. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, राजकोट 360001.
48. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
49. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रग्रन्थालय हैदराबाद 500463.
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मंधालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793001.
51. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001.
52. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
53. प्रधान महालेखाकार-1(लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002.
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607,तिरुवनन्तपुरम् 695039.
55. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
56. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
57. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020.
58. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.
59. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलोर 560002.
60. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उडीसा, भूवनेश्वर 751001.
61. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017.
62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा,लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047.